ISSN 2348-3857

नि:शक्तजन एवं समाज

डॉ. रंजीता सिंह

सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग, एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

हमारे समाज में विकलांग बालक उनको माना गया है जो शरीर, बुद्धि अथवा व्यक्तित्व संबंधी किसी ऐसी स्थायी अक्षमता से ग्रस्त होते हैं जिसका उनके स्वाभाविक विकास पर तथा सीखने तथा विकसित होने की उनकी योग्यता पर हस्तक्षेपकारी प्रभाव पड़ता है।वह बालक, जो किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है, एक प्रकार की हीनता ग्रंथि (inferiority complex) का अपने अंदर विकास कर लेता है। वह प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता अथवा प्रसिद्धि प्राप्त करने के माध्यम से इस दोष की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता है। खुद नि:शक्तजनों ने इस शब्द के मायने पूरी तरह बदल दिए हैं। वे कहने का निशक्तजन हों पर उन्होंने अपने काम से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिससे वे बन गए हैं, बेहद खास। वाकई हमारे आस-पास आज ऐसे निशक्तजनों की कमी नहीं, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, उस ताकत से इरादे मजबूत किए और फिर भरी हौसलों की ऊंची उड़ान।

संकेताक्षर : *अंगपरक हीनताभाव, आत्मपरक चेतना, सशक्तिकरण*

नि:शक्तजन, यह शब्द सुनते ही हमारे जेहन में भले ही असहाय, लाचार और बेचारगी का भाव पैदा होता हो पर खुद नि:शक्तजनों ने इस शब्द के मायने पूरी तरह बदल दिए हैं। वे कहने को निशक्तजन हों पर उन्होंने अपने काम से ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि वे सामान्यजन से अधिक नहीं, तो कम भी नहीं है। अभिप्राय: शारीरिक दोष के कारण इसकी एक सीमा बन जाती है कि बालक क्या-क्या कर सकता है। इस प्रकार के दोष या तो आनुवांशिक हो सकते हैं अथवा जन्म के समय के किसी आघात के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, या माता-पिता द्वारा प्रदत्त विपरीत परिवेश का परिणाम भी हो सकते हैं। किसी रोग अथवा दुर्घटना के फलस्वरूप भी शारीरिक अक्षमताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अंधापन, बहरापन, हाथ-पाँव के दोष, शशक-मुखता (hare lips) और खंडतालु (claft palates) टेड़ी-मेढ़ी उँगलियों का होना (webbed fingers), जलने के दागों से ग्रस्त होना, आदि कुछ सामान्य शारीरिक दोष हैं। इन शारीरिक दोषों के कारण बालक अपने आपको दूसरों से भिन्न अनुभव करने लगते हैं, और इसलिए वे हीनता और अक्षमता की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। एडलर के ''अंगपरक हीनताभाव'' (organ inferiority) संबंधी सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के मन:स्ताप (neuroses) और कुसमायोजन शारीरिक अंगों से संबंधित हीनता की भावना की क्षतिपूर्ति के रूप में ही होते हैं। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार की हीनता की भावना ''शक्ति की इच्छा'' (will to power) को प्रेरित कर सकती है। वह बालक, जो किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है, एक प्रकार की हीनता ग्रंथि (inferiority complex) का अपने अंदर विकसित कर लेता है। वह प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता अथवा प्रसिद्धि प्राप्त करने के माध्यम से इस दोष की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता हैं (एडलर 1924)। हालांकि कुछ बच्चे भले ही इस प्रकार क्षतिपूर्ति का प्रयास करते हों, परन्तु यह स्पष्ट है कि अधिकांश बालक ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनमें तो कुछ व्यक्तित्व संबंधी कुछ ऐसे अस्वस्थ प्रतिदर्श विकसित हो जाते हैं, जो उन्हें प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने की बजाए जीवन में असफलता की ओर ही ले जाते हैं।

अंध, बधिर और लूले-लँगड़े व्यक्ति प्रतिबाधित क्रियाशीलता से ग्रस्त रहते हैं, और इसका उनके अपने शारीरिक दोष के प्रति और स्वयं उनके अपने प्रति रूख पर प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरे लोग उनके प्रति दु:ख का भाव प्रकट करते हैं और उन पर तरस खाते हैं तो उनमें एक प्रकार की शहादत की भावना भर जाती है। दूसरी ओर, यदि ऐसे बालकों को स्वीकार किया जाता है और उनके साथ

अन्य बालकों की भाँति ही व्यवहार किया जाता है तो उनमें स्वयं अपने आपके प्रति अधिक स्वस्थ अभिवृत्तियों का विकास होता है। शारीरिक दोष और माता-पिता से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संरक्षण इन बालकों को सीखने के अवसरों से वंचित कर देता है और इनका अपना अभिप्रेरणा (motivation) भी कम हो जाता है। विकलांग बालक की स्वतंत्रता प्राप्त करने से संबंधित अयोग्यता माता-पिता के लिए विशेष रूप से भारी पड़ती है। यद्यपि किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त होना दूसरों से भिन्न होना ही है, परन्तु अन्य सभी बालकों की भाँति विकलांग बालक को भी अन्य लोगों के साथ समान स्तर की आवश्यकता होती है। चूँकि दूसरे लोग उसे एक विचित्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आपको अलग-थलग सा महसूस करता है। वह अपनी असमर्थता के प्रति सचेत हो जाता है। उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मचेतना (self-consciousness) बढ़ जाती है। वह देखता है कि अन्य व्यक्ति और बालक उसके साथ सामान्य ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते, या तो वे उसे अस्वीकृति प्रदान करते हैं या उसके प्रति दयाभाव दिखाने लगते हैं। इन दोनों ही बातों से उसे चिढ़ होती है। अपनी विकलांगता के कारण अन्य बालकों के साथ प्रतियोगिता में असमर्थ होने तथा इससे भी अधिक यह कि अपनी हीन भावना के कारण वह अपने आप में अधिक से अधिक सिकुड़ने लगता है। पर खुद निःशक्तजनों ने इस शब्द के मायने पूरी तरह बदल दिए हैं। वे कहने का निः शक्तजन हों पर उन्होंने अपने काम से ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे वे बन गए हैं, बेहद खास। विशेष योग्यजन वाकई हमारे आस-पास आज ऐसे निशक्तजनों की कमी नहीं, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, उस ताकत से इरादे मजबूत किए और फिर भरी हौसलों की ऊंची उड़ान। एक ऐसी उड़ान, जिसके सफर में लाख बाधाएं आईं, पर मजबूत इरादे उन्हें डिगा नहीं पाए और वे पहुंचे अपनी मंजिल तक। विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य कर नाम किया उनमें से निम्न उल्लेखनीय है -

- **फ्रैंकलिन डी.रूजवेल्ट** - पोलियोग्रस्त थे। दूसरे विश्व युद्ध में अमरीका को विजयी बनाने वाले फ्रैंकलिन 1933 से 1946 तक लगातार चार बार संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रहे।
- **स्टीफन हॉकिंग्स** - आइंस्टीन के बाद 21वीं सदी के प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं। स्टीफन का बिग बैंग और ब्लैक होल का सिद्धान्त विश्वभर में चर्चित रहा। कम्प्यूटर सपोर्टेड मशीन पर रहते हैं।
- **सुधा चन्द्रन** - केरल में जन्मी 50 वर्षीय सुधा चन्द्रन प्रसिद्ध अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। 16 वर्ष की उम्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक पैर काटना पड़ा। पैर में 'जयपर फुट' लगाकर वह देश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना बनीं।
- **अरूणिमा सिन्हा** - यात्रा के दौरान लुटेरों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया, एक पैर गंवाना पड़ा। घटना के दो वर्ष बाद ही वे मांउट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनीं।

परिवार और निःशक्तजन

यदि किसी परिवार में कोई निःशक्तजन है तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है। स्पेशल चाइल्ड वाले परिवारों में माता-पिता को फाइनेंशियल प्लानिंग में कई तरह की बातों को ध्यान रखना होता है। माता-पिता को खुद की और बच्चे दोनों के बारे में प्लान करना होता है। स्पेशल चाइल्ड के मेडिकल के खर्च अधिक होते हैं जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी या अन्य शिक्षण, बच्चे के जीवन की सुरक्षा, खुद की आय तथा मां-बाप को इसके अतिरिक्त व्हीलचेयर, चिकित्सा उपकरण और अन्य चीजों पर भी खर्च करना होता है। यदि इन चीजों को बजट में शामिल नहीं किया जाता है तो व्यवस्था पूरी करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि पहले बजट बनाएं और सख्ती से उस पर अमल करें। क्योंकि इनके लिए विशेष शिक्षा और आने-जाने का प्रावधान करना पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि तरह के खर्च के लिए कुछ पैसा पहले से अलग से निकाल कर रख दिया जाये, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड के शिक्षण के लिए ज्यादा समय और ध्यान रखना होता है।

वास्तव में, ऐसे बालक को एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता होती है, जहाँ उसे अधिक प्रोत्साहन और अधिक व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त हो सके। संभवत: उसे परिवार में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संरक्षण वातावरण में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह तो निश्चित ही है कि उसे सामान्य बालकों की अपेक्षा अपने बराबर के बालकों की प्रतियोगिता की जरूरत होती है। इन सबका संकेत स्पष्ट है कि उसे किसी ऐसे विशिष्ट स्कूल में रखा जाना चाहिए, जहाँ उसके समान ही विकलांग बालक पढ़ते हों।

सुझाव

- परिवार तथा समुदाय में निःशक्तता संबंधित जानकारी देना तथा उनमें व्याप्त धारणाओं और भ्रान्तियों को दूर करना।

- परिवार तथा समुदाय में नि:शक्तता के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण का सृजन एवं विकास।
- परिवार के सदस्यों को सम्बल तथा उचित परामर्श देकर उनमें संवेदनशीलता तथा सहनशीलता का सृजन एवं विकास।
- जन साधारण को नि:शक्तता के संबंध में जानकारी तथा सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें नि:शक्तबाधित व्यक्ति एक पूर्ण जीवन जी सकें। (जैसे दाम्पत्य, मातृत्व-पितृत्व, इत्यादि)
- स्थानीय निकायों- ग्रामीण तथा शहरी को नि:शक्तता से संबंधित समस्याओं से परिचित करवाना तथा उनके द्वारा प्रायोजित पहल को प्रेरित करना।
- जन शिक्षण निलियमों को नि:शक्तता संबंध सूचना प्रचार-प्रसार केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- नि:शक्त व्यक्तियों में परामर्श अथवा अन्य उपायों से आत्मविश्वास जागृत करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित करना।
- नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यकतानुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- आपात स्थिति में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये विशेष सुरक्षा के उपाय।
- पुनर्वास कार्यक्रमों में महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को प्राथमिकता।
- ऐसे कदम उठाये जाना, जिससे नि:शक्त बच्चे, परिवार तथा समुदाय द्वारा उपेक्षित या तिरस्कृत न किये जाएं।
- ऐसे प्रयास किये जाना जिससे नि:शक्तजनों का शारीरिक, शाब्दिक तथा लैंगिक शोषण, परिवार, समाज तथा समुदाय द्वारा न किया जा सके।
- नि:शक्त व्यक्तियों को नियमों के अन्तर्गत दिए जा रहे संरक्षण एवं प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग न हो, सुनिश्चित करना।
- नि:शक्तजनों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्राप्त आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

राज्य एवं केन्द्र सरकारें योजना निर्माण करते समय इन विशेषजनों का ध्यान रखती है। सरकारों के द्वारा नियोजन में इनके लिये पदों का आरक्षण इनके आर्थिक विकास की गति प्रदान करता है। विशेष वातावरण का निर्माण कर हम देश की प्रगति में इन विशेषजनों का योगदान प्राप्त कर सकते हैं। नि:शक्तता से बाधित प्रत्येक व्यक्ति की राज्य के विकास में पूर्ण भागीदारी हो। नि:शक्त व्यक्तियों को इस सम्मानजनक भूमिका के निर्वहन के लिए समान अवसर देकर स्वावलंबी बनाया जाये। उनके समग्र पुनर्वास के लिये उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाये। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये। आवश्यकतानुसार संस्थागत और गैर-संस्थागत संरक्षण प्रदान किया जाये। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी पहलूओं को इस नीति से जोडा जाए। इस नीति का क्रियान्वयन समुदाय आधारित है। नि:शक्तजन समाज के अभिन्न अंग हैं एवं उनके सम्पूर्ण विकास के साथ ही समाज का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सोन्टोग, एल, डब्ल्यूए, ईटी, एल., मेन्टल ग्रोथ एण्ड पर्सनलिटी डवलपमेट: ए लॉजीटीयूनियल स्टडी. सोसायटी फोर रिसर्च इन चाइल्ड डवलपमेन्ट, 1958
2. कटैल, पी., दी मेजरमेन्ट्स ऑफ इन्टिलीजेन्स ऑफ इनफैन्ट्स एण्ड यंग चिल्ड्रन, फिजिलोजिकल कॉर्पोरेशन, एन.वाई., 1947
3. मिनिट्स ऑफ दी वर्कशॉप ऑन एज्यूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स, दिल्ली, 1955
4. मोहसिन, एस.एम., दी बिहार टेन्ट ऑफ जनरल इन्टिलिजेन्सी
5. मुरलीधरन, राजलक्ष्मी, एडेपटिव डवलपमेन्ट ऑफ इण्डियन चिल्ड्रन, एनसीईआरटी, न्यू दिल्ली (मीमीयो), 1971
6. पाठक, पी., चिल्ड्रन ड्राइंग: ए मेजर ऑफ इण्टिलीजेन्सी, यूनिवर्सिटी ऑफ बडौदा, 1951
7. मल्होत्रा, सुधा, ए कमपेट्रीव स्टडी ऑफ दी फैक्टर्स अण्डरलाईंग इन्टरपर्सनल रिलेशन्स अमोन्ग लेटर एडोलेसेन्ट बॉयज एण्ड गर्ल्स, इन्टर-डिसीपीलीनरी सेमीनार ऑन चाइल्ड डवलपमेन्ट एण्ड फैमिली रिलेसन्स. बडौदा डिपार्टमेन्ट ऑफ चाइल्ड डवलपमेन्ट (मिमीयो), 1965
8. रावल, पी.एच., डवलपमेन्ट ऑफ सोसल मैटयूरीटी स्केल, पीएच.डी. थीसिस, गुजरात यूनिर्विसिटी, अहमदाबाद, 1970